न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर०ए०एस०)

करण संख्या/74/2020 वाद दायर दिनांक 21.10.2020

उनवान

1. दुदाराम पिता रतन लाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी जाखड़खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. घीसी पुत्री रतनलाल जाति गुरू आयु वयस्क निवासी जाखड़खेडा तहसील कपासन हाल मुकाम पत्नी गोपी लाल जाति गुरू निवासी अडाणा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़।

1. चम्पा लाल पिता नन्दा जाति गुरू आयु वयस्क निवासी जाखड़खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. टमुबाई पत्नी नन्दा जाति गुरू आयु वयस्क निवासी जाखड़खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. बिलानाम सरकार जरिये तहसीलदार कपासन।
4. भूमिधारी तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्णचन्द्र तुल्छिया –वादी

एकतरफा –प्रतिवादी सं० 1 से 3

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला–चित्तौडगढ़

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः **17.12.2024**

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा जाखड़खेड़ा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी नम्बर 143 रकबा 0.20 है0, आराजी नम्बर 144 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 145 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.21 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.83 है0 स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर संयुक्त खातेदारी की होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त स्वामित्व व संयुक्त कब्जे की है।

यह कि आराजीयात जैरबहस वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 3 तक के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण आराजीयात जैरबहस का लगान जमा कराने में तथा उपज का बंटवाडा करने को लेकर विवाद बना रहता है वादीगण ने आराजीयात का बंटवाडा करने के लिए प्रतिवादीगण को दिनांक 10/6/2020 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण इसके लिए तैयार नहीं है इसलिए आराजीयात जैरबहस का बंटवाडा किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा का बंटवाडा किया जाकर वादीगण के नाम पर चालू जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर अलग नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे वादीगण को उनके हिस्से पर अलग कब्जा दिलाया जावें इसी प्रकार प्रतिवादीगण को भी आराजीयात जैरबहस का बंटवाडा किया जाकर 1/8 हिस्सा चम्पा लाल प्रतिवादीगण को दिलाया जावें तथा 1/8 हिस्सा टमुबाई को दिलाया जावें तथा 1/8 हिस्सा टमुबाई को दिलाया जाकर अलग से चालु जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर अलग नक्शा ट्रेस कायम किया जावे। तथा इसी प्रकार आराजीयात जैरबहस में 1/4 हिस्सा बिलानाम सरकार दर्ज है इसीलिए आराजीयात जैरबहस का बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें तथा चालु जमाबन्दी से हटाया जावें।

यह कि आराजीयात जैरबहस वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से आराजीयात प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में दखलनदाजी करते है तथा प्रतिवादीगण वादीगण का संयुक्त कब्जे को हटाने पर आमादा है दिनांक 10.07.2020 को भी विवाद किया इसलिए

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

...ो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है नही तो वादीगण ...ति होगी जिसको रूपयों में आंका नहीं जा सकेगा। यह कि वाद कारण दिनांक ... को पैदा होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन की डिक्री इस ...की जारी फरमायी जावें की वादपत्र की कॉलम संख्या 1 में उल्लेखित आराजीयात का ...जन किया जाकर वादीगण का 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम संयुक्त रूप से चालु जमाबन्दी में ... किया जाकर अलग जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस कायम किया जावें व वादीगण के हिस्से में आने ...ली आराजीयात पर वादीगण को अलग कब्जा दिलाया जावें। इसी प्रकार प्रतिवादीगण को भी आराजीयात का विभाजन किया जाकर 1/8, हिस्सा चालु जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर अलग नक्शा ट्रेस कायम किया जावें तथा अलग कब्जा दिलाया जावें तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर भी 1/4 हिस्सा बिलानाम दर्ज किया जावें तथा चालु जमाबन्दी अलग बनाई जावें।

– पक्षवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी किया जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के संयुक्त कब्जे में दखलनदाजी नही करे व संयुक्त कब्जा हटावें न ही आराजीयात जैरबहस को लेकर लड़ाई झगडा करें न खुद ऐसा करें न ही परिवार के सदस्य नौकर एजेन्ट से ऐसा करावें। अन्य दाद गुफिद वादीगण हो जो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से दिनांक 19.03.2021 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त वाद पत्र में दिनांक 18.08.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 20.06.2024 से शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 17.12.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा जाखड़खेड़ा तहसील कपासन के हल्के वैरूनी में आराजी नम्बर 142 रकबा 0.03 हैक्ट0, आराजी नम्बर 143 रकबा 0.20 है0, आराजी नम्बर 144 रकबा 0.19 है0, आराजी नम्बर 145 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 146 रकबा 0.21 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.86 है0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. दुदाराम पुत्र रतनलाल हिस्सा 27/41, घीसी पुत्री रतनलाल हिस्सा 14/41, जाति गुरू सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	143	0.20
2	144	0.19
3	145/1	0.02
योग	कुल किता–03	0.41

2. चम्पालाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/2, टमुबाई पत्नी नन्दा हिस्सा 1/2 जाति गुरू सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	146	0.21
योग	कुल किता–01	0.21

3. बिलानाम सरकार सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	145 मी0	0.21
योग	कुल किता–01	0.21

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

घीसी पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/6, चम्पालाल पुत्र नन्दा हिस्सा 1/8, टमुबाई पत्नी नन्दा हिस्सा 1/8, दुदाराम पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/3 जाति गुरू सा0 देह खातेदार रहन बदस्तुर, बिलानाम सरकार हिस्सा 1/4 सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)
1	142	0.03
योग	कुल किता–01	0.03

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी कपासन